हरियाणा सरकार पशुपालन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जून, 1999

स.सा.का.नि.69 संवे.जनु. 309/99, -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुये, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हिरयाणा पश् चिकित्सा मुख्यालय तथा क्षेत्रीय ग्रुप (घ) सेवा में नियुक्ति च्यक्तियों की भर्ती तथा उन की सेवा धर्ती को विनियर्भित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: --

भाग-। सामान्य

सिक्षेप्त नाम तथा प्रारम्भ :

- (1) ये नियम हरियाणा पशु चिकित्सा मुख्यालय तथा क्षेत्रीय (ग्रप-घ) सेवा नियम,
 1999, कहे जा सकते हैं ।
 - (2) ये राजपत्र में इन के प्रका्शन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाऐं :

- 2. इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
- (ख) 'निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक, पशुपालन विभाग हरियाणा;
- (ग) "रोज़गार कार्यालय" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में स्थित रोज़गार कार्यालय;
- (घ) 'सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
- (ङ) "कार्यालयाध्यक्ष" से अभिप्राय है, राजकीय पशुधन फार्म हिसार की दशा में, मुख्य अधीक्षक ;

हरियाणा राज्य पशु-प्रजनन-परिजोजना, हिसार की दशा में परियोजना निदेशक; हरियाणा पशु चिकित्सा. टीका संस्थान, हिसार की दशा में संस्थान निदेशक, या उप निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसी भी स्थिति हो।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जिस की दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षातकार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता, प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो अन्य ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उन के सम्बन्धी न हों, किन्तु उस के व्यवितगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों और जो उस के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु :


5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले जनवरी प्रथम दिन को या उससे पहले सोलह वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति परिशिष्ट ग के खाना 3 में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी । योग्यतार्थे :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वीक्त परिशिष्ट क खाना 4 में विनिर्दिष्ट अहतियें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहर्ताओं में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा चकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गी, अन्य पिछड़े वर्गी, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग, प्रवर्गी में, उन के लिये आरिक्षत रिक्तयों को भरने के लिये अपेक्षित रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप से कारण दिये जायेंगे।



- (2) कोई भी व्यक्ति, जिस की दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षातकार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता, प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो अन्य ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उन के सम्बन्धी न हों, किन्तु उस के व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भाति परिचित हों और जो उस के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

अयु :

• 5 कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले जनवरी प्रथम दिन को या उससे पहले सोलह वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति परिशिष्ट में के खाना 3 में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी।

योग्यतायें :

- 7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वीक्त परिशिष्ट क खाना 4 में विनिर्दिष्ट अहतियें तथा अनुभव न रखता हो :
- परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहर्ताओं में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गी, अन्य पिछड़े वर्गी, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग, प्रवर्गी में, उन के लिये आरिक्षत रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप से कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएं :

- 8. कोई भी व्यक्ति,--
- ' (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिस ने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्रं नहीं होगा ।

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर .लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भती का ढंग :

, 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:--

मुख्यालय अमला :

- (I) दफ्तरी की दशा में,--
 - (i) सेवादार में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पह्ले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (II) जमादार की दशा में.--
 - (i) सेवादार में से पदोन्नित द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (III) सेवादार की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा म पहले से लगे किसी किमचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (IV) चौकीदार्की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (V) मेहतर की दशा में.--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा :

अधीनस्थ अमला :

- (I) दफ्तरी की दशा में,--
 - (i) सेवादार में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (II) जमादार की दशा में,--
 - (1) सेवादार में से पदोननित द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (III) मेट (कृषि) की दशा में,--
 - (i) हाली या बेलदार में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (IV) भेट (पशुधन) की दशा में,--
 - (i) डेरी परिचर/सांड परिचर/ग्वाला में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;



(V) झलाईगर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(VI) खरादी की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(VII) दोहक की दशा में;--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(VIII) सेवादार की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

,(IX) महतर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (X) चौकीदार/पहरेदार की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (XI) सांड परिचर की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
 - (XII) पानीवाला की दशा में.--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (XIII) ड्रेसर की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा : या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या. प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (XIV) कुक्कट परिचर की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
 - (XV) वीर्य वाहक की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (XVI) साक्षर श्रमिक की दशा में, --
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (XVII) वन रक्षक/वन सेवादार की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (XVIII) सूकर परिचर की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
 - (XIX) भिश्ती की दशा में,--
 - ' (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
 - (XX) साईस की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:
 - (XXI) डैरी परिचर की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा: या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण्या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (XXII) भारतोलक की दशा में, --
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्यं सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXIII) हाली/माली की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXIV) ट्रक सफाई कर्ता की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXV) माली की दशा में,--

- (i) सीधी भूती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXVI) प्रयोगशाला परिचर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXVII) ग्वाला (गाय तथा भैंस) की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

.(XXVIII) गोदाम पालक/तालाब पालक की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXIX) क्षेत्र श्रमिक की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (XXX) डाक वाहक/रनर की दशा में --
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (XXXI) भेड़पालक की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (XXXII) पम्प परिचर की दशा में, --
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (XXXIII) चतुर्थ श्रेणी सुरक्षा अमला की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (XXXIV) बेलदार की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXXV) मेहतर एवं माली की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा: या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXXVI) सिंचाई मेट की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXXVII) मुख्य ग्वाला की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXXVIII) फायरमैन की दशा में,--

- (1) सीधी भर्ती द्वारा : या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXXIX) मेहतर एवं शाव परीक्षा परिचर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XL) पैकर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLI) कोलमैन एवं मेहतर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (1i) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLII) बढ़ई की दशा में.--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLIII) चूजा पालन परिचर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLIV) कसाई (बूचड़) की दशा में,--

- (1) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLV) प्रजनन एवं पालन परिचर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLVI) पहरेदार की दशा में,--

- '(i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLVII) हैल्पर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेता में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLVIII) मेहतर एवं चौकीदार की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (IL) ड्रेसर/ऊन ड्रेसर की दशा में,---
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
 - (L) समयपाल (टाईम-कीपर) की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LI) पशु पकड़नेवाला की दशा में,--
 - (1) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LII) कनिष्ठ दुग्ध मापक की दशा में,--
 - · (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LIII) बायलर परिचर की दशा में.--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LIV) घुड़सवार की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
 - (LV) बायलर चूजे पालन परिचर की दशा मे --
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LVI) शुष्क तथा लघु भण्डार (यंग स्टाक) परिचर की दशा में,--
 - (1) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LVII) काफ बुवाई की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LVIII) चारा काटने वाला (चफ कटर) की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अर्थवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LIX) बैल परिचर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LX) भण्डारी (स्टोक मैन) की दशा में,--
 - (1) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LXI) कामदार की दशा में --
 - (1) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LXII) धोंकनी चलाने वाला (वैलो बुवाय) की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी • कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (LXIII) जाल-वाला (फरियर) की दशा में,--
 - (1) सीधी भर्ती द्वारा; या
 - (11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मस्वारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (2) पदोन्नित द्वारा नियुक्तियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नित का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
- (3) जब कभी सेवा में कोई रिक्ति होती है अथवा होने वाली होती_है तो सरकार ऐसी रिक्ति भरे जाने की रीति निर्धारित करेगी ।

परिवीक्षा

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु 🗝

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है;
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसी स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह :--
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो, उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
 - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, --
 - (1) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसे अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ति अनुज्ञात करें :

- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अविध पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,---
- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,-
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर संकता है; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई होने की तिथि से पुष्टि कर सकता है; या
 - (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषज्नक न रहा हो तो,--
 - (1) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ती अनुज्ञात करें; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

 11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियुक्त करते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा : परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उन की ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा:
- (ख) पदोन्नित द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नित अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशाः में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नित या स्थानान्तरित किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उसके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवा काल भी समान हो तो अयु में बड़ा, सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व :

- 12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पूर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने पर दायी होगा ।
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है.—
 - (1) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिस का पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या
 - (11) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण, या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण-सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमित के बिना खण्ड (ii) या (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसे शक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रखते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (i) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

राजनिष्टा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उस ने पहले ही भारत के प्रति, तथा विधि द्वारा यथा-स्थापित भारत के सिवधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों में किसी उपजन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों के किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेशों में विशेष निबन्धन तथा शर्ते लगाना उचित समझें तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृति :

20. पंजाब राज्य (श्रेणी iv) सेवा-नियम, 1963, सेवा को लागू होने की सीमा तक इस के द्वारा निरिसत किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया ओदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट-क

् (देखिये नियम-3)

क्रम पदनाम		पदों की गुं		वेतनमान
सं. 	अस्थाई	स्थाई	— <u>—</u> — जोड़	—
l 2	, 3	4	5	6
मुख्यालय अमला				रुपए ,
। दफ्तरी -	2) i	2650-65-3300-द.रो70- 4000
2 जमादार .	, , , . .	1	t	2650-65-3300-द रो70- 4000
3` सेवादार	21		21	2550-55-2660-द रो -60 3200
4 चौकीदार	1	I	2	2550-55-2660-द.रो60- 3200
5 मेहतर		-1	1	2550-55-2660-द रो -60- 3200+65 स्पेशल वेतन
क्षेत्रीय अमला		-		•
। ंदफ्तरी	1	 , .	l	2650-65-3300-द रो70- 4000
2 जमादार	· 	I	1	2650-65-3300-द.रो70- 4000
3 मेट (कृषि) 	. 3		3	2650-65-3300-द.रो70- 4000

2550

1 2	3	4 .	5	6
4 मेट (पशुधन)	2	 .	2	2650-65-3300 -द रो -70- 4000
5 झलाइगर	2		2	2650-65-3300-द रो -70- 4000
6 खरादी	1	` <u>-</u>		2610-60-3150-द रो -65- 3540
7 दोहक	49	- -	['] 49	2550-55-2660-द रो -60- 3200
८ सेवादार	- 91	42	133	2550-55-2660-द रो60- 3200
9 मेहतर	507	207	714	2550-55-2660-द. रो60- 3200
10 चौकीदार/पहरेदार	27	IJ	38	2550-55-2660-दं रों60- 3200
ा। सांड परिचर	11,62	140	1302	2550-55-2660्-द _ः रोः-60- 3200
i2 पानीवाला	657	185	842	2550-55-2660-द.रो60- 3200
। 3 ड्रेसर		26	26	2550-55-2660-द.रो60- 3200
14ं कुक्कट परिचर		. 19	19	2550-55-2660-द रो60- 3200
ा 5 वीर्य वाहक -	51	23	74	2550-55-2660-द रो60- 3200

经时间的 "我们是不好的好的,就是是一

7						
1 	2	,	3	4	5	`. 6
16	साक्षर	श्रुमिक 🕝 😁	+3	>	13	- 2550-55-2660-द रो60-
	•	•	, ~ :			3200
ੁੱਛੋਂ 17.	वस रह	नक/वन् सेवादार	; - -	15 .	15	2550-55-2660-द रो -60-
ama		in Sign	•	~ ;		3200
	7		,		, (,	
£18	सूंकर प	पारचर	29	77	, 106 ,	2550-55-2660-द रो -60-
5	# _0	3				3200
<u>1</u> 19	भिश्ती		. 1	4	.5	2550-55-2660-द रो -60-
ر ت	ب • •		•			3200
‡20	साईस	1	2	34	36	2550-55-2660-द-रो -60-
61 }-	*. @	1	, 1 ,	.ે જ જે -	<u>.</u>	3200
21	डेरी पा	ी रेचर	1	10	. 11	2550-55-2660-द रो -60-
er G	**************************************	1	ч			3200
322	भार त	्। ोलक		5	* *** ~ 6 :	2550-55-2660-द·रोः -60-
. NG	<i>j</i> .	:			Ţ	3200
	ين <u>ڪ</u> م	et a second	1 - i - ×			
₹23 }	हाली	Y. A.	: .	132 -{ 	132	2550-55-2660-द.रो60-
Ç	;			A	The state of the s	3200
.24	ट्रक स	फाई-कर्ताः	7		7	2550-55-2660-द-रो60-
4.	•	`	i i		: 	3200
. 25	माली		2	. 3 ∯ ;	5	2550-55-2660-द रो: -60-
۳ <u>٦</u> 	#	F		754 871 	20	3200
^E 26	प्रयोगश	ाला परिचर	30	3	33	2550-55-2660-द रो -60-
	-			¥ (1		3200
27	ग्वाला	(गाय तथा भैंस)	.37	103	i (140)	2550-55-2660-द रो -60-
		N 2 3 %.				3200
						, ,

1 2	, 3	4	5	6 .
28 गोदाम पालक/ तालाब पालक	<u>-</u>	7-	7 2550	-55-2660-द रो -60-
29 क्षेत्र श्रमिक	18		18 2550 3200	-55-2660-दं रो -60-
30 डांक वाहक/रनर	2 -	2	4 2550 3200	-55-2660 -द्रो -60-
3। भेड़पालक	111	33	144 2550 3200	- 55 - 2660 - द. रो 60 -
32 पम्प परिचर	3		3 2550 3200	- 55 - 2660 - द. रो 60 -
33 चतुर्थ श्रेणी सुरक्षा अमला	2	<u>-</u> - '	2 2550 3200	-55-2660-दे रो -60-
34 बेलदार	25 ,	; ;		-55-2660-द रो -60-
35 मेहतर एवं माली		(0	3200 10 2550 3200	-55-2660 - द रो -60-
36 सिंचाई मेट	4 .5 .2	2	36 2550 3200	-55-2660 - द रो60-
37 मुख्य ग्वाला	4	.	: =	-55-2660'-दः सैं60-
38 फायर मैन			3200 12 2550 3200	-55-2660 - व स्तुः - 60 =
39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर		- - -	1 2550- 3200	-55-2660-द.रो60-

1	2 .	3	4	5	6
40	पैकर		2	2	2550-55-2660-द.चे60- 3200
41	कोलमैन एवं मेहतर		1	4	2550-55-2660-द रो -60 3200
42	मदर् <u>ष</u>		ı	1	2550-55-2660-द रो -60- 3200
43	चूजा पालन परिचर	5	3	8	2550-55-2660-द.्रो60- 3200
44	कसाई (बूचड़)	<u>.</u> L.	2 .	2	2550-55-2660-द रो 60- 3200
45	प्रजनन एवं पालन परिचर		2	. 2	2550-55-2660-द.रो60- 3200
46	पहरेदार		' 3	-3	2550-55-2660-द.चे60- 3200
47	हैल्पर	6		6	2550-55-2660-द.चे60- 3200
48	मेहतर एवं चौकीदार	24	21	45	2550-55-2660-द.रो60- 3200
49	Э ड्रेसर/ ऊन ड्रेसर	2		2	2550-55-2660-द. रो60- 3200
50) समयपाल (टाईम् कीपर्)	1	'		2550-55-2660-द.रो60 3200
5	। पशु पकड़ने वाला	3		3	2550-55-2660-द.रो60 3200

1 2	3	4 (5	6 //
52 कनिष्ठ दुग्ध मापक	5		5	2550-55-2660-द.रो 60- 3200
53 बायलर परिचर	l	- -	1	2550-55-2660-द रो -60- 3200
54 घुड़सवार 🔶 .			ļ	2550-55-2660-द.रो60- 3200 -
55 गायलर चूने पालन परिचर	2		2	2550-55-2660-द रो -60- 3200
56 काफ बुवाय	1.		ı	2550-55-2660-द.रो60- 3200
57 र् श काटने वाला - ं हफ कटर)	. 1	~	l	2550-55-2660-द रो -60- 3200
58 बैल परिचर	2		2	2550-55-2660-द.रो60- ′ 3200
59 भंडारी (स्टोरमैन)	1		, I	2550-55-2660-द.रो60- 3200
60 शुष्क तथा लघु (ग्रंग स्टाक) परिचर	ŀ	,	ł	2550-55-2660-द.रो.,-60- 3200
6। कामदार	2	 ·	2	2550-55-2660-द.रो60- 3200
62 धौंकनी चलाने वाला (बैलो बुवाय)	1		l	2550-55-2660-दं. रो60- 3200
63 नाल वाला (फरियर)	1	 .	· .	2550-55-2660-द.रो60- 3200

परिश्चन्द-ख

(देखिये नियम 7)

क्रम सं:	पदनाम _्	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अद्दर्ताएं तथा अनुभव यदि कोई हो ।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अहतीयं तथा अनुभव यदि कोई हो ।
r	2	3	4 `-
 मुख	ग़लय अमला		
1	दफ्तरी	••	(i) हिन्दी सहित मिडिल पास ;
٠,			(ii) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
2	जमादार ं		(i) हिन्दी सहित मिडिल पास ;
	- 1 · · ·	,	(ii) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
3	सेवादार -	हिन्दी के साथ मिडिल पास ।	हिन्दी के साथ मिडिल पास ।
4	चौकीदार	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	, हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य • हो । • ﴿
5	मेहतर 🐪	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य
-		हो ।	हो ।
क्षेत्री	य अमला	,	
1	दफ्तरी		(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास :
			(ii) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
2	जमादार .	x = - 1	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास :

6 खरादी

4 3 2 (ii) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । पदोन्नित द्वास--3 मेट (कृषि) (i) हाली/बेलदार के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ; (11) हिन्दी के साथ मिडिल पास । स्थानान्तरण द्वारा - -(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) मेट (कृषि) के रूप में दो वर्ष का अनुभव । पदोन्नित द्वारा--4 मेट (पशुधन) (i) डेरी परिचर/सांड परिचर/ग्वाला परिचर के रूप में आठ वर्ष का अनुभवः। स्थानान्तरप द्वारा--(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) मेट (पशुधन) के रूप में दो वर्षः का अनुभव । (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; 5 झलाइगर (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण पंस्थान (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान । से झलाईगर का डिप्लोमा । से झलाईगर का डिप्लोमा । (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ;

1	2	3	4
) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से खरादी का डि़प्लोमा ।
7	दोहक) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
•	·	(ii) दोहक कार्य का एक वर्ष (ii ् का अनुभव ।) दोहक कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।
8	सेवादार े	ंहिन्दी के साथ मिडिल पास ।	हिन्दी के साथ मिडिल पास ।
9	मेहतर <i>-</i>	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
ΙÖ	चौकीदार/ पहरेदार	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
11	सांड परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i योग्य हो ;) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
		(ii) ग्रामीण पुष्ठभूमि ;) ग्रामीण पुष्ठभूमि ;
		(iii) पशु रखने का एक वर्ष का (iii अनुभव/2। दिन का पशु- धन पालन/डेरी का प्रशिक्षण।) पशु रखने का एक वर्ष का ़ ्अनुभव/2। दिन का पशु- धन पालन/डेरी का प्रशिक्षण।
12	पानीवाला	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) योग्य हो ;) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; '
		(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; - (ii)) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
		(iii) 2। दिन का पशुधन पालन/ (iii) डेरीका प्रशिक्षण ।	2। दिन्का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।

3 2 (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के 13 ड्रेसर योग्य हो ; योग्य हो : (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; . (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पश्ओं के रखने का एक (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष, का अनुभव या 2। वर्ष का अनुभव या 21 ्दिन का पशुधन पालन/ दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण । डेरी का प्रशिक्षण । (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के 14 कुक्कुट योग्य हो : योग्य हो ; परिचर (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) कुक्कृट पालन कार्य का (iii) कुक्कुट पालन कार्य का एक वर्ष का अनुभव या एक वर्ष का अनुभव या पशुधन पालन/डेरी का पश्चन पालन/डरी का 21 दिन का कुक्कट, 2। दिन का कुक्कट प्रशिक्षण । प्रशिक्षण । (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) हिन्दी पड़ने लिखने के 15 वीर्य वाहक योग्य हो । योग्य हो ; (ii) ब्रामीण पृष्ठभूमि ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशु के रखने का एक (ili) पशु के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुंधन पालन/ दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण । डेरी का प्रशिक्षण । (i) हिन्दी के साथ मैद्रिक पास; (i) हिन्दी के साथ मैद्रिक पास; 16 साक्षर श्रमिक

ì	2	` 3	4 .
	• •	.(ii) मजदूरों से कार्य कराने का 🗸 (ii) अनुभव ।	मजदूरों से कार्य कराने का अनुभव ।
.17	वन रक्षक/ वन सेवादार	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (i)	हिन्दी के साथ मिडिल पास ;
1,8	सूकर परिचर	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (i	·
		(ii) ग्रामीण पुष्ठभूमि ;) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
		(iii) सूकर फार्म के कार्य का (iii एक वर्ष का अनुभव या 21 दिम का सूकर प्रशिक्षण। /) सूकर फार्म के कार्य का एक वर्ष का अनुभव या 2। दिन का सूकर प्रशिक्षण ।
19	भिष्रती	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i योग्य हो ;) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
		(ii) पशुआँ की गाड़ी चलाने (ii का एक वर्ष का अनुभव।) पशुओं की गाड़ी चलाने का एक वर्ष का अनुभव।
20	साईस ँ	(i) हिन्दी पदने लिखने (i योग्य हो ;) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ;
,	•	(ii) घोड़ों/गधों की देखरेख का (ii अनुभव ।) घोड़ों/गर्घों की देखरेख का अनुभव ।
21	ंडेरी परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i योग्य हो ;) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
,		- (ii) ग्रामीण पृष्ठ मूमि ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
		(iii) पशुओं के रखने का एक (iii वर्ष का अनुभव या 21) पशुओं के रखने का एक वर्ष, का अनुभव या 2।
			20

l .	2	3	4
	^ -	दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	दिन का पशुंधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
22 भा	•	हिन्दी के साथ मिडिल पास ;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	• •	धर्मकांटा (वे-ब्रिज) पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव ।	(ii) धर्मकाटा (वे-क्रिज) पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव ।
23 . हा	ती (i)	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
•	_(ii)_	ग्रामीण पुष्ठभूमि ;	(ii) ग्रामीण पुष्ठभूमि ;
		खेती-बाड़ी कार्य का एक वर्ष का अनुभव ; या	(iii) खेती-बाड़ी कार्य का एक वर्ष का अनुभव; या
	(iv)	2। दिन का पशुद्धन पालन/ डेरी प्रक्षिक्षण ।	(iv) 21 दिन का पशुघन पालन/ डेरी प्रशिक्षण ।
24 ट्रक कर	• •	हिन्दी के साथ मिडिल पास ; ट्रक सफाईकर्ता का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) ट्रक सफाईकर्ता का एक वर्ष का अनुभव ।
25 मार्		हिन्दी पदने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
	(ii)	वृक्ष/पौधारोपण का एक वर्ष, का अनुभव ।	(ii) वृक्ष/पौद्यारोपण का एक वर्ष, का अनुभव ।
26 प्रये परि		हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;

l	2	3	4
. 27	ग्वाला (गाय तथा भैंस)	 (ii) प्रयोगशाला-औजारों के रखने का एक वर्ष का, अनुभव । (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो; 	 (ii) प्रयोगशाला-औजारों के रखने का एक वर्ष का अनुभव । (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो;
	-	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(ii) ग्रामीण पृष्ठ भूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक
,	1	वर्ष, का अनुभव या 2। - दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	वर्ष, का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
28	गोदाम पालक/ तालाब पालक	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास (ii) रिकार्ड रखने का एक वर्ष का अनुभव ।	; (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) रिकार्ड रखने का एक वर्ष का अनुभव ।
29	क्षेत्र श्रमिक	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
		(ii) ग्रामीण पुष्टभूमि ;	(ii) ग्रामीण पुष्टभूमि ; ·
		(iii) खेती-बाड़ी कार्य का एक वर्ष का अनुभव या पशुधन पालन/डेरी का 21 दिन का प्रशिक्षण ।	(iii) खेती-बाड़ी कार्य का एक वर्ष, का अनुभव या पशुधन पालन/डेरी का 21 दिन का प्रशिक्षण ।
_ 20	डाक वाहक/ रनर	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास	।. (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ।
31	 भेड़पालक	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
			

2 3 (ii) भेड़ों को रखने का एक वर्ष (ii) भेड़ों को रखने का एक वर्ष का अनुभव । का अनुभव । (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; 32 पम्प परिचर (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) पम्प के कार्य करने का (ii) पम्प के कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव । ' एक वर्ष का अनुभव । 33 चतुर्थ श्रेणी (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) कार्यालय/फार्म की सुरक्षा का सुरक्षा अमला (ii) कार्यालय/फार्म की सुरक्षा का एक वर्ष का अनुभव । एक वर्ष, का अनुभव । 34 बेलदार (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो : योग्य हो : (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक (iii) पशुओं के रखने का एक , वर्ष का अनुभव या 21 वर्ष, का अनुभव या 2। ंदिन का पशुधन पालन/ दिन का पशुचन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण । डेरी का प्रशिक्षण । 35 मेहतर एवं (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के माली योग्य हो । योग्य हो । 36 सिंचाई मेट (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास: (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास

37 मुख्य ग्वाला

(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;

(ii) खेती-बाड़ी मजदुरों के

अनुभव ।

नियंत्रण का एक वर्ष का

नियंत्रण का एक वर्ष, का अनुभव ।

(ii) खेती-बाड़ी मजदुरों के

(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;

1	2	. 3	4
		(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; ~
		(iii) कृषि कार्य का एक वर्ष,	(iii) कृषि कार्य का एक वर्ष. 🗸
	-	्रका अनुभव या पशुधन	का अनुभव या पशुधन
		पालन/डिरी का 21 दिन	पालन/डिरी का 21 दिन
		का प्रशिक्षण ।	का प्रशिक्षण ।
38	फायर मैन	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के
	1	योग्य हो ;	्योग्य हो ;
		(ii) अग्नि शमन सेवा का एक	(ii) अग्नि शमन सेवा का एक
		वर्ष, का अनुभव ।	वर्ष का अनुभव ।
39	मेहतर एवं भव	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य
,	परीक्षा परिचर	हो ।	हो ।
40	पैकर	.हिन्दी के साथ मिडिल पास	हिन्दी के साथ मिडिल पास
		हो ।	हो । -
41	/ कोलमैन एवं	हिन्दी पढ़ने लिखने के	हिन्दी पढ़ने लिखने के
	मेहतर -	योग्यं हो ।	योग्य हो ।
	बढ़ई ,	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के
72	194 (योग्य हो ;	योग्य हो ;
		(ii) बढ़ई कार्य का एक वर्ष	(ii) बढ़ई कार्य का एंक वर्ष
2		् का अनुभव ।	का अनुभव ।
43	- चूजापालन	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास	; (i) हिन्दी के साथ मिडिल प
	परिचर	(ii) ग्रामीण पुष्ठभूमि ;	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
	,	(iii) पशु/कुक्कुट पक्षियों के रखने का एक वर्ष का	ं (iii) पश्/कुक्कुट पक्षियों के रखने का एक वर्ष,का
	•	अनुभव या 2। दिन का	अनुभव या 2। दिन का
	' .	पशुधन/डेरी प्रशिक्षण ।	पशुधन/डेरी प्रशिक्षण ।
	•	1.9.1 A + 21 Yu	ARIAN AND MINISTER

1	2	3	4
44	कसाई	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
45	प्रजनन एवं पालन परिचर	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास हो ;	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास हो ;
		(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
	,	(iii) पशुधन पालन का एके , वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन / डेरी का प्रशिक्षण ।	(iii) पशुधन पालन का एक वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
46	पहरेदार ,	हिन्दी पढ़ने लिखने के - योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के ' योग्य हो ।
47	हैल्पर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
•		(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(іі) ग्रामीण पृष्टभूमि
•		(iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष, का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
48	मेहतर एवं चौकीदार	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
49	ड्रेसर/ऊन ड्रेसर `	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	. (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
		(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
		ž.	•

2 (iìi) भेड़ों को पालने तथा रख-(iii) भेड़ों को पालने तथा रेख-रखाव का एक वर्ष का रखाव का एक वर्ष का अनुभव 1 . अनुभव । हिन्दी के साथ मिडिल पास । हिन्दी के साथ मिडिल पास । 50 समयपाल (- ' (टाईमंकीपर) 5। पश् पकड़ने वाला (i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य (i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो: हो : (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं को रखंने का एक (iii) पश्ओं को रखने का एक वर्ष का अनुभव या पशु-वर्ष का अनुभव या पशु-धन पालन् या डेरी का धन पालन या डेरी का 2। दिन का प्रशिक्षण । 2। दिन का प्रशिक्षण । (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के > 52 कनिष्ठ योग्य हो : योग्य हो ; दुग्धमापक (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक (iii) पश्ओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 2। वर्ष का अनुभव या 21 दिनं का पशुद्यन पालन/ दित का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण । डेरी का प्रशिक्षण । (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास; (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास; 53 बायलर परिचर (ii) पंजीकृत आप्रेटर ; (ii) पंजीकृत आप्रेटर ;

(iii) बायलर आप्रेटर के रूप में

एक वर्ष का अनुभव ।

(iii) बायलर आप्रेटर के रूप में , एक वर्ष का अनुभव ।

l	2	3	4
54	घुड़सवारं	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	 (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
	-	(ii) घोड़ों या गधों के रखने , का एक वर्ष का अनुभव।	(i l') घोड़ों या गर्घों के रखने ़ का एक वर्ष का अनुभव।
55	बायलर चूजे पालन परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
		(ii) ग्रामीण क्षेत्र में कुक्कुट कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।	(ii) ग्रामीण क्षेत्र में कुक्कुट कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।
56	काफ बुवाय	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;
		(i j) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
		(iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
57	शुष्क व लघु (यंग स्टाक) परिचर	• •	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
		(111) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण 1	(iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।

١3 (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के 58 चारा काटने योग्य हो ; योग्य हो ; वाला (चफ कटर) (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं को रखने का एक (iii) पश्अों को रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण । डेरी का प्रशिक्षण । (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के 59 बैल परिचर योग्य हो ; योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (ііі) पशुओं के रखने का एक (iii) पश्ओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पश्धन पालन/ दिन का पंशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण । डेरी का प्रशिक्षण । . (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; 60 भंडारी (ii) भंडार रिकार्ड रखने का एक (ii) भंडार रिकार्ड रखने का एक (स्टोरमेन) वर्ष का अनुभव । वर्ष का अनुभव । (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के 6। कामदार योग्य हो ; योग्य हो ; (ii) ग्रामीण क्षेत्र में खेती-बाड़ी (ii) ग्रामीण क्षेत्र में खेती-बाड़ी का एक वर्ष का अनुभव। का एक वर्ष का अनुभव । (i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य (i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य 62 धौंकनी चलाने हो : वाला (बैलो हो ;

(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ।

बुवाय)

(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ।

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999 (ASAR 10, 1921 SAKA)

-		•	, (
. •	<u></u>	2	3	4
,	63	नालवाला (फैरियर)	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ;
•			(i i) ग्रामीण पुष्ठभूमि [`] ;	(।।) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;
,			(iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 2।	(iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव ़या 2।
			दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	दिन का पशुधन पालन/ ें डेरी का प्रशिक्षण ।

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999 (ASAR 10, 1921 SAKA)

प**रिशिष्ट** - ग [देखिये नियम ।4(।)]

	. -					
क्रम संख्या	पदनाम	न्यिक्त प्राधि - कारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधि- कारी	अपील प्राधि - कारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील अधिकारी, यदि कौई हो
1	2	3	4	5	6	7
नु ख्यालय	अमला :		,		,	
। दफत	री निव	देशक	। छोटी शस्तियां :	निदेशक	सरकार	
2 जमाद		(i)	वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;			
3 सेवादार	· , ,	(ii)	परिनिन्दा ;		. 9	,
4 चौकीद	ार '	· (iii)	पदोन्नति रोकना ;	•	**	
5 मेहतर		(1v)	उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्व या केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्टि- निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिस का पूर्ण, या अधिकांश स्वामित्व नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

2 3

4

5

7′

या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बंधी पूरी हानि की या उस के भाग की वेतन से वसूली ; और

- (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;
 - 2. बड़ी शास्तियां :
- (v1) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;
- (v11) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनित ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सिंहत कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनित की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवनित उस की भावी वेतन वृद्धियां स्थिगत करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं;
- (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी से

2 3

4

5

7

उस समय के वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नित के लिये साधारणतया : रोक होगी, ऐसी जिस ग्रेड, पद अधवा सेवा से सरकारी अवनत किया गया था, बहाली सम्बन्धी और उस की ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्ती सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उन के बिना होगा;

- (1x) अनिवार्य सेवा-निवृति ;
- (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरहता नहीं होगी;
- (x1) सेवा से पदच्यूति जो सरकार
 के अधीन भावी नियोजन के
 लिये सामान्यताः निरर्हता होगी।

18 सूकर परिचर

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999 (ASAR 10, 1921 SAKA)

2 3 7 5 क्षेत्रीय अमला : दफतरी कार्यालयाध्यक्ष । छोटी शास्तियां : कार्यालया- : निदेशक, सरकार वैयक्तिक फाईल (आचरण-पशुपालन, (i) ध्यक्ष पंजी) पर प्रति रखते हुये हरियाणा जमादार चेतावनी : मेट (कृषि) परितिन्दा : (ii) मेट (पशुधन) पदोन्नति रोकना; (iii) झलाइगर (iv) उपेक्षा या आदेशों के : उल्लंघन द्वारा या केन्द्रीय खारादी सरकार या ऐसी कम्पनी, दोहक संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या सेवादार नहीं, जिसका पूर्ण या महतर अधिकांश स्वामित्व नियत्रंण 10 चैाकींदार/पहरेदार सरकार के पास है, या ।। सांड परिचर संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित 12 पानीवाला किसी स्थानीय प्राधिकरण या **13 ड्रेसर** ' विश्वविद्यालय को हुई ध्रन सम्बन्धी पूरी हानि की या 14 कुक्कुट परिचर उस के भाग की वेतन से 15 वीर्य वाहक वसूली; और 16 साक्षर श्रमिक संचयी प्रभाव के बिना (v) 17 वन रक्षकं/वन सेवादार वेतन वृद्धियां रोकना,

.1	2 3	4	5	6	7
19	2. भिस्ती (v)(क)	संचयी प्रभाव सहित वेतन			, , ,
20	साईस	वृद्धियां रोकना ;	•		
. 21	डेरी परिचर ^(vi)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के	•		
22	भारतोलक	लिय समयमानं में निम्नतर प्रक्रम पर अंवनति ऐसे		,	
23	हाली/माली .	अतिरिक्त निर्देशों सहित कि			
24	ट्रक सफाईकता	क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के			• ,
25	माली	अवनात का अवाध क दौरान वेतन वृद्धियां अजित			
26	प्रयोगशाला परिचर	करेगा या नहीं और क्या			
27	ग्वाला (गाय तथा भैंसं)	ऐसी अवधि की समाप्ति			
28	गोदाम पालक/तालाब पालक	पर.ऐसी अवनति उस की भावी वेतन वृद्धियां स्थगित			
29	क्षेत्र श्रमिक	करने का प्रभाव रखेंगी या	,		
30	डाक वाहक/रनर	ेनहीं ;			
31	भोड़ पालक (vii)	निम्नतर वेतनमान, गेड, पद	1		
32	पम्प परिचर	या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी से			
33	चतुर्थ श्रेणी-सुरक्षा-अमला	उस समय के वेतनमान,			
34	्बेलदार	ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे			•
35	मेहंतर एवं माली	वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयः		,	
36	सिंचाई मेट 🔌	रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड,			
37	मुख्य ग्वाला	पद अथवा सेवा से सरकारी			
<i>3</i> 8	फायर मैन	कर्मचारी अवनत किया गया था, बहाली सम्बन्धी और		`	
				 ,	

ľ	2 3.		4
~			
3 9	महतर एवं शव		उसकी ज्येष्ठता तथा उस
	परीक्षा परिचर	N	ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन
40	पैकर भ		के बारे में शर्ती सम्बन्धी
41	कोलमैन एंव महतर		अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा :
42	बढ़ई	(viii)	अनिवायं सेवा निवृति ;
43	चूंजापालन, परिचर		सेवा से हटाया जाना जो
44	कसाई (बूचंड़)		सरकार के अधीन भावी -
45	प्रजनन एवं प्रालन प	रिचर	नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ;
46	पहरेदार		
47	हैल्पर	(x)	सेवा से पदच्यूति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन
48	मेहतर एंव	ſ	के लिये सामान्यतः निरहंता।
	चौकीदार		होगी ।
49	ड्रेसर/ऊन		
	ड्रेसर		
50	समयपालन		1
	(टाईमकीपर)		'
, 51	पशु पकड़ने		
-	वाला		
د ر د	कनिष्ठ दुग्ध	`	
32	मापक		
53	बायलर परिचर	•	. ,
´ 54	धुड़सवार		•

6

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999 (ASAR 10, 1921 SAKA)

55 बायलर चुजे पालन् परिचर

2

56 -शुष्क तथा लघु भंडार (यंगस्टाफ) परिचर

57 काफ ब्वर्डि

58 चारा काटने वाला

59 बैल परिचर

60 भंडारी (स्टोर मैन)

6। कामदार

62 धौंकनी चलाने वाला (बैलो-बुवाय)

63 नालवाला (फैरियर)

परिशिष्ट घ [दिखिये नियम-।4(2)]

क्रंम संख्य			आदेश का स्वरूप	आदेश के लिए शंसक्त , प्राघीकारी	प्राधि-	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी ।
1	2	3	4		5 .	6 7
! 2	यालय अमला दफ्तरी जमादार सेवादार चौकीदार मेहतर		पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	निदेशक	स्रकार	-
		(11)	सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्शिता के लिये नियत अयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति;	·		
अध	ोनस्थ अमला			, , .	٥.	,
1	दफतरी	`(i)	पेंशन को नियंत्रित करने वाले	कायलियाध्यक्ष		•
2	जमादार		नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय		पशुपा	
3	मेट (कृषि)	,	सामान्य/अतिरिक्त पैन्शन की राशि में कमी करना या		हरिया -	
4	मेटः (पशुघान	7)	रोकना ;			
5	झलाइगर	(ii)	सेवा के किसी सदस्य की			
. 6	खरादी		उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत	τ ,		
7	दोहक		आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	,	•	,

2 3

4

,5

7

6

- ८ सेवादार
- 9[\] महतर
- 10 चौकीदार/पहरेदार
- ।। सांड परिचर
- 12 पानीवाला
- 13 ड्रेसर
- 14 कुक्कुट् परिचर
- 15 वीर्य वाहक
- 16 साक्षर श्रमिक
- 17 वन रक्षक/ वन सेवादार
- 18 सूकर परिचर
- 19 भिश्ती
- 20 साईस
- 21 डेरी परिचर
- 22 भारतोलक
- 23 हाली
- 24 ट्रक सफाईकर्ता
- 25 माली
- 26 प्रयोगशाला परिचर

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999 (ASAR 10, 1921 SAKA)

2 3 4 5 6 7 27 ग्वाला (गाय तथा भैंस) 28 गोदाम पालक/ तालाब पालक 29 क्षेत्र श्रीमक 30 डाक वाहक/रनर 31 भेड़ पालक 32 पम्प परिचर 33 चर्तुंडा श्रेणी सुरक्षा अमला भे बेलदार 35 मेहतर एवं माली 36 िरंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमैन एवं मेहतर 42 बढ़ई 43 चूंणापालन परिचर					(NOA	10, 1	. /LI OF	,			,
(गाय तथा मेंस) 28 गोदाम पालक/ तालाब पालक 29 क्षेत्र श्रिमक 30 डाक वाहक/रनर 31 भेड़ पालक 32 पम्प परिचर 33 चर्तुथ श्रेणी सुरक्षा अमला 11 बेलदार 35 मेहतर एवं माली 36 विंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शाव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमेन एवं मेहतर 42 बढ़ई		I 	2 - 3				-	,	5	6	7
तालाब पालक 29 क्षेत्र श्रमिक 30 डाक वाहक/रनर 31 भेड़ पालक 32 पम्प परिचर 33 चर्तुय श्रेणी सुरक्षा अमला 11 बेलदार 35 मेहतर एवं माली 36 सिंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमेन एवं मेहतर 42 बढ़ई		27						,	,		·
30 डाक वाहक/रनर 31 भेड़ पालक 32 पम्प परिचर 33 चर्तुध्र श्रेणी सुरक्षा अमला 31 बेलदार 35 मेहतर एवं माली 36 सिंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमैन एवं मेहतर		28			`	,		`			
31 मोड़ पालक 32 पम्प परिचर 33 चर्तुध्र श्रेणी सुरक्षा असला 31 बेलदार 35 मेहतर एवं माली 36 सिंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पेकर 41 कोलमेन एवं मेहतर		29	क्षेत्र श्रमिक		·		1 ,		•	,	. •
32 पम्प परिचर 33 चर्तुय श्रेणी सुरक्षा अमला 31 बेलदार 35 मेहतर एवं माली 36 सिंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पेकर 41 कोलमैन एवं मेहतर		30	डाक वाहक/रनर		,				ı		•
33 चर्तुथ श्रेणी सुरक्षा अमला 31 बेलदार 35 मेहतर एवं माली 36 सिंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमेन एवं मेहतर		31	भोड़ पालक					Y ,			4 ,
33 चर्तुय श्रेणी सुरक्षा अमला 31 बेलदार 35 मेहतर एवं माली 36 सिंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमैन एवं मेहतर	,	32	पम्प परिचर	,					1	_	
35 मेहतर एवं माली 36 सिंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पेकर 41 कोलमैन एवं मेहतर		33	चर्तुथ श्रेणी	•			-				٠.
माली 36 सिंचाई मेट 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमैन एवं मेहतर		, 31	•	•					`		. '
 37 मुख्य ग्वाला 38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमैन एवं मेहतर 42 बर्व्ड 	•	3 5					·	•			
38 फायर मैन 39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमेन एवं मेहतर		36	सिंचाई मेट	•	•						•
39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमैन एवं मेहतर		37	मुख्य ग्वाला	-		,	,		,	•	•
परीक्षा परिचर 40 पैकर 41 कोलमैन एवं महतर 42 बर्व्ड		38	फायर मैन		• • •		•	•			
41 कोलमैन एवं महतर ' 42 बर्व्ड	1	39		•		•		,,,			٠,
42 बढ़ई 43 वर्ज्याच्या प्रिकार		40	पैकर - ,		,	`.	•	, ,			i.
40 ====================================	,	41	कोलमेन एवं महतर '	L		-		_			- `
43 चूर्जापालन परिचर				,	ŕ	1		,			
		43	चूजापालन परिचर	···	<u>. 0</u>	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	

-

5

6

3

2

45 प्रजनन एवं पालन परिचर

- 46 वाचमैन पहरेदार
- 47 हैल्पर
- 48 मेहतर एवं चौकीदार
- 49 ड्रेसर्/ ऊन ड्रेसर
- 50 समयपालक (टाईम कीपर)
- 5। पशु पकड़ने वाला
- 52 कनिष्ट दुग्ध मापक
- 53 बायलर परिचर
- 54 धुड़सवार
- 55 बायलर चूजे पालन परिचर
- 56 शुष्क तथा लड्डा भंडार (यंग स्टाफ) परिचर
- 57 काफ बवाई
- 58 चफ कटर चारा काटने वाला

बी डी. डालिया, वित्तायुक्त एवं सचिव, हिरियाणा सरकार, पशुपालन विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

Notification

The 4th June, 1999

No. GSR 69/Const./Art. 309/99.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Veterinary Headquarter and Field (Group-D) Service, namely:--

PART-I GENERAL

Short title and Commencement:

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Veterinary Headquarter and Field (Group D) service, Rules, 1999.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions:

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires,--
- (a) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;
- (b) "Director" means the Director, Animal Husbandry, Haryana;
- (c) "employment exchange" means the employment exchange situtated in Haryana;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department:

- (e) "Head of the office" means Chief Superintendent in case of Government Live Stock Farm, Hisar; Project Director, in case of Haryana State Cattle Breeding Project, Hisar; Institute Director, in case of Haryana, Veterinary Vaccine Institute, Hisar; or Deputy Director, Animal Husbandry Department; as the case may be;
- (f) "institution" means,--
 - (i) any Institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (g) "Service" means the Haryana Veterinary (Group D) Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts:

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix-A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts and to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service:

- 4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is:--
 - (a) a citizen of India; or
 - . (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri-Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the appointing authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, Academic Officer of the University, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than sixteen years or more than thirty five years of age on or before the 1st day of January next preceding the date of registration with the Employment Exchange.

Appointing authority:

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the authority mentioned in column 3 of Appendix-C.

Qualifications:

• 7. No person shall be appointed to any post in the service, unless he is in possession of qualification and experience specified in column 3 of Appendix-B to these rules in case of direct

recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment:

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 per cent at the discretion of the appointing authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the Vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications:

- 8. No person, --
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment:

9. Recruitment to the Service shall be made--


HEADQUARTER STAFF

- I. in the case of Daftri, --
 - (i) by promotion from amongst Peon; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

- II. in case of Jamadar, --
 - (i) by promotion from amongst Peon;
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- III. in case of Peon, --
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- IV. in case of Chowkidar, --
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
 - V. in case of Sweeper, --
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

FIELD STAFF

- I. in case of Daftri,--
 - (i) by promotion from amongst Peon;
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- II. in case of Jamadar, --
 - (i) by promotion from amongst Peon ;



III. in case of Mate (Agriculture),--

- (i) by promotion from amongst Ploughman or Beldar;
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

IV. in case of Mate (Live Stock),--

- (i) by promotion from amongst Dairy Attendant/Bull Attendant/Cowherd;
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

V. in case of Welder, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

VI. in case of Turner, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

VII. in case of Milker.--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

÷...

VIII. in case of Peon, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

IX. in case of Sweeper,--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

X. in case of Chowkidar/Watchman, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XI. in case of Bull-Attendant, --


- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XII. in case of Water Carrier .--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XIII. in case of Dresser,--

(i) by direct recruitment; or



XIV. in case of Poultry Attendant, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XV. in case of Semen Messenger, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XVI. in case of Literate Labour, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XVII. in case of Forest Guard/Forest Peon, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XVIII. in case of Pig-Attendant, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XIX. in case of Bhisti,--`

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XX. in case of Syce,--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XXI. in case of Dairy Attendant, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XXII. in case of Weighman,--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XXIII. in case of Ploughman/Mali,--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XXIV. in case of Truck Cleaner, --

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XXV. in case of Mali,--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XXVI. in case of Lab Attendant, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XXVII. in case of Cowherd/Buffaloherd, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XXVIII. in case of Godown Keeper/Pond Keeper,--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XXVIX. in case of Field Man, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India:

XXX. in case of Dak Messanger/Runner,--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- XXXI. in case of Shepherd/Sheep-Sheerer, --
 - (i) by direct recruitment; `or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India:
- XXXII. in case of Pump Attendant,->
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the overnment of India;
- XXXIII. in case of Class IVth Security Staff, --
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- XXXIV. in case of Beldar, --
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
 - XXXV. in case of Sweeper-cum-Mali,--
 - (i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India:

XXXVI. in case of Irrigation Mate, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XXXVII. in case of Head Gawala, -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India:

XXXVIII. in case of Fireman, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India:

XXXIX: in case of Sweeper-cum-Post mortem Attendant, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XL. in case of Packer, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XLI. in case of Coal-man-cum-Sweeper,--

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XLII. in case of Carpenter, -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XLIII. in case of Chick-Rearing Attendant, -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XLIV. in case of Butcher, -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XLV. in case of Breeding and Rearing Attendant, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

XLVI. in case of Watchman, --

(i) by direct recruitment; or



(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XLVII. in case of Helper,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XLVIII. in case of Sweeper-cum-Chowkidar, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

IL. in case of Dresser/Wool Dresser, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

L. in case of Time Keeper,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LI. in case of Cattle Catcher, -

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LII. in case of Junior Milk Recorder,-

- (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- LIII. in case of Boiler Attendant,-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- LIV. in case of Horse Man,-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- LV. in case of Broiler Chicks Rearing Attendant, --
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- LVI. in case of Dry and Young Stock Attendant, --
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- LVII. in case of Calf Boy,-
 - (i) by direct recruitment; or

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999 (ASAR 10, 1921 SAKA)

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LVIII. in case of Chuff Cutter .-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LIX. in case of Bullock Attendant,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LX. in case of Store-Man,-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India

LXI. in case of Kamdar, ---

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LXII. in case of Bellow Boy. —

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LXIII. in case of Farrier, --

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (2) Appointments by promotion shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
- (3) When any vacancy occurs or is about to occur in the service, the Government shall determine in what manner such vacancy shall be filled in.

Probation:

10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year if appointed otherwise:

Provided that, --

- (a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
 - (a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

- (b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment;
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
 - (a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,--
 - (i) confirm such person from the date of his appointment if appointed, against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispenses with his service, if appointed by direct recruitment and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Semiority, inter se of members of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service:

Provided that where there are different cadre in the serivce, the seniority shall determined separately for each cadre;

Provided further that in the case of member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:--

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer:
- (ć) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve:

- 12. (1) A member of the service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the state of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
- (2) A member of the Service may also be deputed to serve under,--
 - (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State

Government, a municipal corporation or a local authority of university within the State of Haryana;

- (ii) the Central Government or a company an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or /(iii) except with his consent.

Pay leave pension and other matters:

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the member of the service shall be governed by such rules, and regulation as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalities and appeals:

14. (I) In matters, relating to discipline, penalities and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalities which may be imposed, the authority empowered to impose such penalities and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C to these rules.

2. The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub'rule (I) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination:

15. Every member of the services, shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by special or general order.

Oath of allegiance:

16. Every member of the service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision:

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations:

19. Nothing contained in these rules shall effect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, backward Classes, Other Backward Classes, Ex-serviceman, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time;

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time:

Repeal and savings:

20. The Punjab State (Class-IV) Service Rules, 1963, are hereby repealed to the extent these are applicable to this service:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules;

APPENDIX A

See rule 3)

Sr.	Designation of opening posts	Number	of posts	Total	Scale of Pay
No.		Temporary	Permanent		
1	2	3	4	5 .	6
HEAD	QUARTER STAFF :				
1 .	Daftri ,	ĺ		1	Rs. 2650-65-3300-EB- 70-4000
, 2	Jamadar		1 .	1	Rs. 2650-65-3300-EB- 70-4000
3	Peon	21.		21 .	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
4	Chowk1dar	٠ ١	1	2	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
5	Sweeper		1	1	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200+65 Special Pay
FIEL	D STAFF :				•
1	Daftri	1		1	Rs. 2650-65-3300-EB- 70-4000
2	Jamadar		· 1	1,	Rs. 2650-65-3300-EB- 70-4000
3	Mate (Agriculture)	3	·	3	Rs. 2650-65-3300-EB- 70-4000
4	Mate (Livestock)	2		`2	Rs. 2650-65-3300-EB- 70-4000
5	We lder	,2	·	2	Rs. 2650-65-3300-EB-
6	Turner	, 1		1	Rs. 2610-60-3150-EB- ,65-3540
7	Milker	49		49	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200



e.c.c.

1	2	3	4	5	6
8	Peon	91	. 42	133	Rs. 2550-55-2660-E8- 60-3200
9.	Sweeper	507	207	714	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200 + 65 Special Pay
10	Chowkidar/Watchman	27	11	38	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
11	Bull Attendant	1162	140	1302	Rs. 2550-55-2660-EB-
12	Water Carrier	657 _.	185	842	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
13	Dresser		26	. 26	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
14	Poultry Attendant		19	19	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
15	Semen Messenger	51	23	7,4	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
16	Literate Labourer	13	·	13	Rs. 2550-55-2660-E8- 60-3200
17	Forest Gurad/ Forest Peon		15	15	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
18	Pig Attendant	29	77 '	106	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
19	Bhisti	١	· 4	. 5	Rs. 2550-55-2660-EB: 60-3200
20	Syce	2	34	36	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
21	Dairy Attendant	1	10	11	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
22	Weighman	ı	5	6 .	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
23	P loughman	==	132	132	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200

2604 HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999 (ASAR 10, 1921 SAKA)

		(2007	20, 27		
1	2	3	. 4	5	6
24	Truck Cleaner	7		7	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
25	Mali'	2	3	5 ,	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
26	Lab Attendant	30	3 .	33	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
2 7	Cowherd/Buffalo- herd	, 37	103	140	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
28	Godown Keeper/ Pond Keeper		. 7	, 7	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
29	Field Man -	18		18	Ŕs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
30	Dak Messenger/ Runner	2	2	4	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
31	Shepherd ,	111	33	144	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
32	Pump Attendant	3		. 3	Rs. 2550-55-2660-EB 60-3200
33	Class IVth Security Staff	2	• •	2	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
34	Beldar .	25		25	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200 ′
35	Sweeper-cum-Mali		10	10	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
36	Irrigation Mate	1	. 2	3	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
37	Head Gwala	4		4	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
38	Fireman		1	1	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
39	Sweeper-cum-Post mortem Attendant		۱	\ L	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
40	Packer	Ġ.	. 2	2	Rs. 2550~55~2660-EB- 60-3200

1	2	3	, · <u>, </u>	4 5	6
41	Coalman-cum-Sweeper		1	1	Rs. 2550-55-2660-EB-
42	Carpenter	,	, 1	ĺ	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
43	Chick Rearing Attendant		;	3	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
44	Butcher		2	2	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200 -
45	Breeding and Rearing Attendant		2	2	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
46 ,	Watchman		. 3	3	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
47	Helper	6		. 6	Rs. 2550-55-2660-EB-
48	Sweeper-cum- Chowkidar	24	21	45	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
49	Dresser/Wool Dresser	2		2	Rs. 2550-55-2660-EB 60-3200 `
50	Time-Keeper	1	, -	. 1	Rs. 2550-55-2660-EB
51	Cattle Catcher	3	- -	3	Rs. 2550-55-2660-EB 60-3200
52	Junior Milk Recorder	5		5	Rs. 2550-55-2660-EB 60-3200
53	Broiler Attendant	1		- 1	Rs. 2550-55-2660-EB 60-3200
54	Horseman	1	٠,	· í	Rs. 2550-55-2660-EB 60-3200
55	Broiler Chicks Rearing Attendant	2		. 2	Rs. 2550-55-2660-EB 60-3200
56	Dry and Young Stock Attendant	1		. 1	Rs. 2550-55-2660 - EB 60-3200

2606 HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999
(ASAR 10, 1921 SAKA)

1	2	з .,	4	5	6
57	Calf Boy	1		l	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
58	Chuff Cutter	2	. 	2 '	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
59	Bullock Attendant	1	·	1	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
60	Storeman -	1		1	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
61	Kamdar	·2		2 . '	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
62	Bellow Boy	1 '		1	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200
63	Farrier	1		, 1	Rs. 2550-55-2660-EB- 60-3200

Æ,

APPENDIX-B

(See rule 7)

```			
	Besignation Posts	of Academic Qualifications and experience, if any, for direct recruitment.	Academic Qualifications and experience if any, for appointment otherwise than by direct recruitment.
1	2	<b>'3</b>	4
	HEADQUARTER	STAFF:	
. 1	Daftri		(i) Middle Pass with Hindi;
			· (ii) 5 years experience as Peon.
<b>, 2</b>	Jamaɗar		(1) Middle with Hindi;
			(ii) 5 years experience as Peon.
3	Peon	Middle Pass with Kindi	Middle pass with Hindi.
4	Chowk idar	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
5	Sweeper ,	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
	FIELD STAFF	:	
,	Daftri	. <del></del>	. (i) Middle pass with Hindi;
. 2	Jamadar	<b></b>	<ul><li>(ii) 5 years experience as Peon.</li><li>(i) Middle pass with Hindi;</li></ul>
		,	(ii) 5 years experience as Peon.
3	Mate (Agricu	lture) (i) Middle pass with Hindi	; By promotion:
ţ	. •	(ii) 2 years experience as Mate (Agriculture)	8 years experience as Plough- man/Beldar.
			By transfer:
			(i) Middle pass with Hindi;
:		,	(ii) 2 years experience as Mate (Agriculture)
1 1 A	Mate (L'ives	tock) (i) Middle pass with Hindi	; ' By promotion:
,		(ii) 2 years experience as Mate (Livestock)	(i) 8 years experience as Dairy Attendant/Bull Attendant/ Cowherd

1	2	. 3	4 ,
	<del></del> ,		By transfer:
			(i) Middle pass with Hindi;
	٠.		(ii) 2 years experience as Mate (Livestock).
5,	Welder `	(i) Middle pass with Hindi;	(i) Middle pass with Hindi;
		(ii) Welder Diploma from Industrial Training Institute.	(ii) Welder Diploma from Indus- trial Training Institute.
6	Turner	(i) Middle pass with Hindi;	(i) Middle pass with Hindi;
٠,	:	(ii) One year Diploma of Turner from Industrial Training Institute.	(ii) One year Diploma of Turner from Industrial Training Institute.
7	Milker	<ul><li>(i) Should be able to read and write Hindi;</li></ul>	<ul><li>(i) Should be able to read and write Hindi;</li></ul>
		(ii) One year experience of Milking.	(ii) One year experience of Milking.
8	Peon	Middle pass with Hindi.	Middle pass with Hindi.
9	Sweeper	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
10	Chowkidar/Watchn	nan Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
11	Bull Attendant	(i) Should be able to read and write Hindi;	<ul><li>(i) Should be able to read and write Hindi;</li></ul>
		(ii) Rural Background;	(11) Rural Background;
		(iii) One year experience of handling of Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairy.	(iii) One year experience of handling the Animals; or 21 days training Livestock rearing/ Dairying.
12	Water Carrier.	<ul><li>(i) Should be able to read and write Hindi;</li></ul>	<ul><li>(i) Should be able to read and write Hindi;</li></ul>
		(ii) Rural Background;	(ii) Rural Background;
-	1	(iii) One year experience of handling of Animals; or	(iii) One year experience of handl- ing the Animals; or 21 days

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999 (ASAR 10, 1921 SAKA) 2 training in Livestock ing/ 21 days training in rearing/Dairying. Livestock rearing/Dairying. (i) Should be able to read and (i) Should be able to read . 13 Dresser. write Hindi 📆 and write Hindi; (11) Rural Background's (ii) Rural Background; (iii) One year experience of (iii) One year experience of handlbandling of the Animals; / ing the Animals; or 21 days training Livestock rearing/ or 21 days training in bivestock rearing/Dairy-Dairying. ing. (1) Should be able to read (1) Should be able to read 14 Poultry , write Hindi i and write Hindi: Attendant (ii) Rural Back@ound; (11) Rural Background; (iii) One year experience of (iii) One year experience of head ing the Poulary Farm acting handling the Poultry vities; or 21 days training. Farm activities; or 21 in Livestock rearing/Dairydays training in Livestock rearing/Dairying. (1) Should be able to read and (1) Should be able to read 15 Semen write Hindl and write Hindi; Messanger (11) Rural Background : 3 (11) Rural Background: (111) One year experience of (111) One year experience of hend! ing the Animals or 21 days handling the Animals : or training in Livestock rearing 27 days training in :Datry (gg. . Livestock rearing/Dairy-(1) Matric with Hinds (1) Matric with Hindi; 16 Literate Labour (fi) One year experience of (ii) One year experience of Labour handling. Labour handling. Middle pass with Hindi. Middle pass with Hindl. 17 Forest Guard/ Forest Peon (1) Middle pass with Hindi : (1) Middle pass with Hindi 18 Pig Attendant

(ii) Rural Background:

(11) Rural Backgrounds.

1815 No.

	2	
· ·	2 	3 ; 4
	;	(iii) One year experience of (iii) One year experience of handl- handling the Pig Farm; ing the Pig Farm; or 21 days or 21 days; training in training in Pig Farm. Pig Farm.
19	Bhist1	(i) Should be able to read (i) Should be able to read and and write Hindi; write Hindi;
		(ii) Knowledge of Animal (ii) Knowledge of Animal Handling Handling for carts.
20	Syce	<ul><li>(1) Should be able to réad</li><li>(1) Should be able to read and and write Hindi;</li></ul>
	•	(ii) Knowledge of Horse; or (ii) Knowledge of Hourse; or Donkey handling.
21	Dairy Attendant	.(i) Should be able to read (i) Should be able to read and and write Hindi; write Hindi;
	,	(11) Rural Background; '(11) Rural Background;
		(iii) One year experience of (iii) One year experience of handle, handling the Animals; or ling the Animals; or 21 days 21 days training in training Livestock rearing/Dairy-ling.
22	Weighman.	(1) Middle pass with Hindi; (1) Middle pass with Hindi;
	•	(ii) One year experience of (ii) One year experience of working on a weigh bridge. bridge.
23	P loughman	(1) Should be able to read (1) Should be able to read and and write Hind; write Hind;
	•	(ii) Rural Background; (ii) Rural Background;
		(iii) One year experience in (iii) One year experience in Agri- Agriculture work; or culture work; or 21 days 21 days training in training in Livestock Livestock rearing/ rearing/Dairying. Dairying.
24	Truck Cleaner	(1) Middle pass with Hindi; (1) Middle pass with Hindi;
		(11) One year experience as (11) One year experience as Truck Truck Cleaner. Cleaner.

	·		(NORK IV, 1721 SAKA	<b>,</b>
1	2		3	4
25	Mali	<del>(</del> 1)	Should be able to read (i) and write Hindi;	Should be able to read and write Hindi;
,		(11)	One year experience of (ii) Plantation of garden.	One year experience of plantation of garden.
26	Lab. Attendant	(1)	Should be able to read (i) and write Hindi;	Should be able to read and write Hindi;
i		(11)	One year experience in (ii) handling of laboratory equipments.	One year experience in handling of Laboratory equipments.
27	Cow Herd/ Buff. Herd.	(1)	Should be able to réad (i) and write Hindi;	Should be able to read and write Hindi;
	,	(11)	Rural Background; (ii)	Rural Background;
		( <del>111</del> )	One year experience of (iii) handling of Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	One year experience of handling the Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.
28	Godown Keeper/	(1)	Middle pass with Hindi; (i)	Middle pass with Hindi;
,	Pond Keeper '	(11)	One year experience of (11) record keeping	One year experience of record keeping
* 29	Fieldman /	(1)	Should be able to read (1) and write Hindi;	Should be able to read and write Hindi;
	·	(ii)	Rural Background; (11)	Rural Background;
. ,	· I	(111)	One year knowledge of (iii) agriculture work; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	One year knowledge of agri- culture work; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.
30	Dak Messanger/ Runner		Middle Pass with Hindi.	Middle pass with Hindi.
31	Shepherd.	(1)	Should be able to read (1) and write Hindi;	Should be able to read and write Hindi;
	,	(1)1)	One year experience for (11) handling the Sheep	One year experience for handling the Sheep.

1: 2		3		4
32 Pump Attendent		Middle Pass with Kindi;	(4)	Middle pass with Hindi;
or asparential		One year experience of working on a pump.		One year experience of working on a pump.
33 Class-IV Securit	y (1)	Middle pass with Hindi;	· (i)	Middle pass with Hindi;
Staff		One year experience for office/Fram.Security.	(11)	One year experience for office/Farm Security.
34.4 Byldar	Çn	Should be able to read and write Hindi;	(i)	Should be able to read and write Hindi;
	(11)	Rural Background; ,	(ii)	Rural Background;
	.(111)	One year experience of handling the Animals; of 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.		One year experience of handling the Animals; or 21 days training in Livestock rearing/
'35 Sweeper-cum- Mall	į	Should be able to read and write Hindi.		Should be able to read and write Hindi.
36 Irrigation Mate	(1)	Hiddle pass with Hindi;	(i)	Middle pass with Hindi;
	(11)	One year training for agriculture thour controlling.	(11)	One year experience for agriculture labour controlling.
37 Head Gwala	(1)	Should be able to read and write Hindig	(1)	Should be able to read and write Hindi;
	(11)	Rural Backgrounds	<b>(11)</b>	Rural Background;
	(111)	One year experience of agriculture works or 21 days training in Livestock rearing/		One year experience of agriculture work; or 21 days training in Livestock rearing/
38 Fireman	(1)	Should be able to read and write Hindi.	, (1)	Should be able to read and write Hindi;
	•	One year experience for fire service.	(11)	One year experience for fire service.
-39 Sweeper-cu- Post-Mortes atte		Should be able to reed and write Hindi.		Should be able to read and write Hindl.

1	2	3	4
40	Packer	Middle pass with Hindi.	Middle pass with Hindi.
41	Coalman-cum- Sweeper	(i) Should be able to read (i) and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
42.	Carpenter	<ul><li>(i) Should be able to read (i' and write Hindi;</li></ul>	Should be able to read and write Hindi;
43	Chicks rearing - Attendant	carpenter work.	One year experience for carpenter work. Should be able to read and write Hindi;
		(ii) Rural Background; (ii)	Rural Background;
		<pre>(iii) One year experience for (iii)</pre>	One year experience for handling the animals/ poultry birds; or 21 days training in Livestock rearing/
44	Butcher	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
45	Breeding and rearing attend		Should be able to read and write Hindi;
		(ii) Rural Background; (ii)	Rural Background;
46	6 Watchman	<pre>(iii) One year experience for {iii}     handling the animals; or     Z1 days training in     Livestock rearing/     Dairying.     Should be able to read     and write Hindi</pre>	One year experience for handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying. Should be able to read and and write Hindi.
47	Helper '	(i) Should be able to read (i) and write Hindi;	Should be able to read and write Hindi;
	•	(11) Runal Background; (ii)	Rural Background;
		(iii) One year experience of (iii) handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	One year experience of handling the animals; for 21 days training in Livestock rearing!

1	2	· 3	4
48	Sweeper-cum- Chowkidar	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
49	Wool Dresser	<ul><li>(i) Should be able to read (i and write Hindi;</li></ul>	) Should be able to read and write Hindi;
		(ii) Rural Background; . (ii	) Rural Background;
	<b>:</b> .	(iii) One year experience of (iii handling the sheep	) One year experience of handling the sheep.
50	Time Keeper	(i) Middle pass with Hindi. (i	Middle pass with Hindi.
51	Cattle Catcher •	<ul><li>(i) Should be able to read (i and write Hindi;</li></ul>	) Should be able to read and write Hindi;
	-	(ii) Rural Background; (ii	Rural Background;
	•	(iii) One year experience of (iii handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/
52	Junior Milk Recorder	(i) Should be able to read (i and write Hindi;	) Should be able to read and write Hindi;
		(ii) Rural Background; (ii	Rural Background;
`	,	(iii) One year experience of (iii handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/
53	Boiler .	(f) Middle pass with Hindi; (i	) Middle pass with Hindl;
	Attendant		Registered Boiler Operator;
		(111) One year experience as (111 Boiler Operator.	) One year experience as Boiler Operator.
54	Horseman	(i) Should be able to read (i and write Hindi;	) Should be able to read and write Hindi;
	,	(11) One year experience for (11 handling Horse/Donkey.	One year experience for handling Horse/Donkey.

1	2	- 3	, 4 -
55	Broiler Chicks Rearing	(1) Should be able to read and write Hindi;	(i) Should be able to read and write Hindi;
	·Attendant	(ii) One year expertence in rural area for poultry activities,	(ii) One year experience in rural area for poultry activites.
56	Dry and Young Stock Attendant	(1) Should be able to read and write Hindi;	<ol> <li>Should be able to read.</li> <li>and write Hindi;</li> </ol>
	,	(ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	<pre>(ii) Rural Background; (iii) One year experience of     handling the animals; or 21 days training in     Livestock rearing/     Dairying.</pre>
57	Calf Boy	(i) Should be able to read and write Hindi;	<ol> <li>Should be able to read and write Hindi;</li> </ol>
		(ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	•   •
58	Chuff Cutter	<ul><li>(i) Should be able to read and write Hindi;</li><li>(ii) Rural Background;</li></ul>	<ul><li>(1) Should be able to read and write Hindi;</li><li>(11) Rural Background;</li></ul>
	_	(iii) One year experience of handling the animals; handling the animals; or 21 days training in Dairying.	<pre>{iii) One year experience of</pre>
59	Bullock Attendant	(1) Should be able to read and write Hindi;	<ol> <li>Should be able to read and write Hindl;</li> </ol>
'	,	(11) Rural Background;	(ii) Rural Background;
	1.	<ul><li>(iii) One year experience of handling the animals; or</li><li>21 days training in Livestock rearing/ Dairying.</li></ul>	(iii) One year experience of handling the animals:_or 21 days training in Livestock rearing/

1	2	3		4
60	Storeman	(i) Middle pass with Hindi;	(1)	Middle pass with Hindi;
		(ii) One year experience of Stores/Record keeping.	(11)	One year experience of Stores/Record keeping.
61.	Kamdar	(i) Should be able to read and write Hindi;	(4)	Should be able to read and write Hindi;
		(ii) One year experience in rural area for agri- culture activities.	(11)	One year experience in rural area for agriculture activities.
62	Bellow Boy	<ul><li>(i) Should be able to read and write Hindi;</li></ul>	(1)	Should be able to read and write Hindi;
		(11) Rural Background.	(11)	Rural Background.
63	Farrier	(i) Should be able to read and write Hindi;	(11)	Should be able to read and write Hidni;
		(ij) Rural Background;	(11)	Rural Background;
٠	1	(iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	-	One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.

#### APPENDIX C

## [(See rule 14(1)]

Sr. No	Designation of Posts	Appoint- ing autho- ` rity	Nature of Penalty	Autho- rity empower- ed to impose penalty	Appel- late autho- rity	Second and final appellate authority if, any
1	2 .	- 3	4	5	6	7
	HEADQUARTER S	STAFF	MINOR PENALTIES :			
1 2 3 4	Daftri Jamadar Chowkidar Peon	١ (١١	<pre>) Warning with a copy   on the personal file   (character roll); ) Censure;</pre>	Director	Govern- ment	
5	Sweeper	(111	) withholding of promotion;	٠		
•			) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negli- gence or a breach of orders, to the Central Government or a State Govern- ment or to a com- pany and association or a body of indivi- duals whetherincorpo- rated or not, which is wholly or sub- stantially owned or controlled by the Government or a Local authority or Univer- sity set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and			

1 2 3. 4 5 6 7

(v) Withholding of increments of pay without cummulative effect ,

#### **HAJOR PENALTIES:**

- - (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with

 $\mathcal{F}_{r}$ 

#### HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999 (ASAR 10, 1921 SAKA)

1 2 3 4 5 6 7

or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

#### (viii) Compulsary retirement :

- (ix) removel from Service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;
- (x) dismissal from dervice which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

#### Field Staff

## Minior Penalties (1) Warning with a copy

(character roll);

on the personal file

Head of

Office

Director, Government

Animal

Haryana

Husbandry,

2 Jamadar3 Mate

Daftri

- 3 Mate (Agriculture)
- (44) Consumo :
- (11) Çensure ;

Head of

Office

- 4 Mate (Livestock)
- (iii) withholding of promotion;

- 5 Welder
- 6 Turner
- 7 Milker
- 8 Peon

(iv) recovery from may of the whole or part of any pecuniary loss

caused by negligence or a breach

**્ર**્જું

1	2 ,	3 .	4	5	6	7
9	Sweeper		of orders, to the			
10	Chowkidar/		Central Government			-
	Watchman		or a State Govern-			
			ment or to a com- ,			
٠11	Bull Attendant		pany and association			
12	Water Carrier		or a body of indivi-			
13	Dresser	· 👡	duals whether incorpo- rated or not, which			
10	•		is wholly or sub-			
14	Poultry		stantially owned or.			
	Attendant		controlled by the			
15	Semen	•	Government or to a Local	`		
	Messenger		authority or Unjver-			` .
16	1.14		sity set up by an Act			
16	Literate Labour		of Parliament or of			
	Labour		the Legislature of			
17	Forest Guard/		a State ; and	•		
	Forest Peon	(	v) Withholding of in-			
18	Pig Attendant		crements of pay			
			without cummulative			
19	Bhisti		effect ;			
<b>2</b> 0	Syce	•	MAJOR PENALTIES :		•	
21	Dairy	( v -	9) Withholding of in-			
	Attendant		crements of pay with			
22	Weighman .		commulative effect;	′		
-	_	( v	i) redüction to a lower	-		
23	Ploughman/Mali	``	stage in the time			
24	Truck Cleaner	•	scale of pay for a			
25	M = 1.2					
23	Mali,		with further direc-			
26	,Lab Attendant		tions as to whether			
27	Cowherd/		or not the Govern-			
	Buff-Herd		ment employee will			
			earn increments of			
28	Godown Keeper/		pay during the			
`	Pond Keeper	r	period of such			<u></u>
29	Fieldman \	1	reduction and whether			
30	Dad Messenger/		on the expiry of			
-	Runner		such period, the			
	<del></del>	<del>.</del>				

1	2	3	4 .	5.	6	7
31	Shepherd		reduction will or		<del>-</del>	
32	Ритр		will not have the effect of post=			
J_	Attendant		poning the future	•		
22			increments of his			
33	Class-IV		pay ;			1
	Security Staff	(vii)	reduction to a lower			,
34	Beldar	(****	scale of pay, grade,			
35	Sweeper-	•	post or service			
	cum-Mali		which shall ordi-			
36	Irrigation		narily be a bar to			
00	Mate		the promotion of the			
•	,		Government employee to the time scale of			
37	Head Gwala 1		pay, grade, post or			
38	Fireman		service from which	,		1
39	Sweeper-	• ,	he was reduced, with	,		•
4	cum-post		or without further	•		
	mortem		directions regarding			
	attendant	•	conditions of resto- ration to the grade			<b>F</b>
40	Packer		or post or service			• ~
			from which the			
41	Coalman-cum-		Government employee			,
	Sweeper		was reduced and his	•		`
42	Carpenter		seniority and pay			•
43	Chick Rearing		on such restoration			
	Attendant		to that grade, post or service;			•
44	Butcher			_		1
		(viij)	Compulsary/retire-			
`45	Breeding and		ment;	•		
	Rearing Attendant	(xi)	removal from Ser-		•	
	Actendant		vice which shall			
46	Watchman		not be a disquali-			
47	He1per		fication for future		)	
48	·	2	employment under the Government;			
48	Sweeper-cum- Chowkidar					
		(x)	dismissal from			
49.	•		service which shall			
	Wool Dresser		ordinarily be a			
	<u>_</u>		disqualification			

1 ——	2	3	4	5	6	7
50 ·	Time Keeper		for future employ	-		
51	Cattle Catcher		ment under the Government.			
52	Junior Milk Recorder	,	Gover Hustin.			
53	Boiler Attendant					•
54	Horseman			,	•	
55	Broiler-C#icks Rearing Attendant			•		
56	Dry and Young Stock Atten- dant `		``	,	,	•
57	Calf Boy					
	Chaff Cutter	,	· · ·		-	
59	. r Bullock Attendant			.,		. ' ·
60	Storeman		,	•	•	•
61	Kamdar				-	
62	Bellow Boy	•	•			
63	Farrier		, , <u> </u>	·	•	·

#### APPENDIX D

## [(See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of	Posts	Nature of Order	Authority empower- ed to make orde	Appel- late autho- rity	Second and final appellate authority if, any.
1	2		3	4	5	6 ,
,	HEADQUARTER STA	lff	<del></del>		<del></del>	<del></del>
1	Daftri	(1)	reducting or withholding	Director	Governmen	nt
2	Jamadar .		the amount of ordinary or additional pension			
3	Pèon		admissible under the rules			ı
4	Chowk idar		governing pension;			. ,
5	Sweéper	(11)	terminating the appointment of member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation;			
٨	FIELD STAFF		•			
1 ° 2	Daftri Jamadar	· (1)	reducing; or withholding the amount of ordinary of additional pension	Head of the Office	Director, Animal Husbandry	Government
3	Mate (Agriculture)		admissible under the rules governing pension;	UTTTE	Haryana	<b>( )</b>
<b>,</b>	Mate (Livestock)	(11)	terminating the appointment of member of the service	•	•	•
5	Welder		otherwise than on his attaining the age fixed		1	
6	Turner		for superannuation;			
7	Milker		•			
8	Peon			•		•
9	Sweeper					`
10	Chowkidar/ Watchman	٠,				
11	Bull Attendant					

1	2 .	3	•		4	5	6
12	Water Carrier		·				.,
13	Dresser	1		,	•	•	
14	Poultry Attendant	·			ı		
15	Semen Messenger		•				•
16 ,	Literate Labourer						
17	Forest Guard/ Forest Peon	•					•
18	Pig Attendant						
19	Bhisti					•	¥
20	Syce			¬	•		
21	Dairy Attendant						,
22	Weighman					,	
23	P loughman						
24	Truck Cleaner						•
25	Mal1						•
26	Lab.Attendant						
27	Cowherd/ Buffalo Herd	•	,	· .			· -
28	Godownkeeper/ Pondkeeper			١		. ,	
29	Fieldman	,			_		
30	Dak Messenger/ Runner				`	•	
31	Shepherd	•	1				•
32	Pump Attendant	,	•				
33	Class-IV Security Staff						

1	2	3	4	5	6
34	Beldar				
35	Sweeper- cum-Mali				
36	Irrigation Mate				•
37	Head Gwala			•	
38	Fireman				
39	Sweeper- cum-Post Mortem Attendant		6		
40	Packer				
41 42	Sweeper				
43			ŝ		
44	Butcher				
45	Breeding and Rearing Attendant				
46	Watchman	리			
47	Helper				
48	Sweeper-cum- Chowkidar			•	
49	Dresser/ Wool Dresser				·
50	Time-Keeper				
51	Cattle Catcher				
52	Junior Milk Recorder				
53	Boiler Attendant				

1	2	3	 4	5	6
54	Horseman				
55	Broiler-Chicks Rearing Attendant				
56	Dry and Young Stock Atten- dant				
57	Calf Boy				
58	Chaff Cutter				
59	Bullock Attendant				
60	Storeman				
ÿ ^a	Kamdar				
ķį	Bellow Boy				
ŝŝ	Farrier	6	•		

B.D. DHALIA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Animal Husbandary Department.